संभल मस्जिद मामला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संभल में शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा** एक ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में **केंद्र और राज्य सरकारों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** और स्थानीय अधिकारियों से जवाब मांगा।

मुख्य बिंदु

- **सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन:**
- निचले न्यायालय ने एक अधिवक्ता आयुक्त को **शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था,** जबकि एक मुकदमे में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण एक मंदिर को नष्ट करके किया गया था।
- नवंबर 2024 में **सर्वोच्च न्यायालय** ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी और निर्देश दिया कि जब तक **इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वेक्षण आदेश के विरुद्ध याचिका पर विचार नहीं हो जाता,** तब **तक मामले की सुनवाई नहीं की जानी चाहिये।**
- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि **किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले किसी भी नए मुकदमे पर अगले आदेश तक विचार नहीं किया जाना चाहिये।**
- **सर्वेक्षण और टकराव:**
- वर्ष 2024 में, स्थानीय न्यायालय ने **मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया,** एक याचिका के बाद जिसमें दावा किया गया था कि **मस्जिद का निर्माण 1526 में** भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया गया था।
- इस मुकदमे में आठ वादियों ने मस्जिद तक पहुंच के अधिकार की मांग की थी।
- सर्वेक्षण के विरुद्ध **पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प के बाद 24 नवंबर, 2024 को संभल में हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप पाँच लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।**

जामा मस्जिद का ऐतिहासिक संदर्भ

- संभल की जामा मस्जिद **बाबर के शासनकाल (1526-1530) के दौरान बनाई गई तीन मस्जिदों में से एक है।** अन्य मस्जिदों में पानीपत की मस्जिद और अब ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद शामिल हैं।
  - **इतिहासकार हॉवर्ड क्रेन ने अपनी कृति 'द पैट्रोनेज ऑफ बाबर एंड द ऑरिजिंस ऑफ मुगल आर्किटेक्चर'** में मस्जिद की स्थापत्य कला की विशेषताओं का वर्णन किया है।
  - क्रेन ने एक फारसी शिलालेख का उल्लेख किया जिसमें कहा गया है कि बाबर ने अपने सूबेदार **जहाँगीर कुली खान के माध्यम से दिसंबर 1526 में मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया था।**

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)

- **संस्कृति मंत्रालय** के अंतर्गत ASI, देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिये प्रमुख संगठन है।
  - **प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958** ASI के कामकाज को नियंत्रित करता है।
- यह राष्ट्रीय महत्त्व के 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का प्रबंधन करता है।
- इसकी गतिविधियों में पुरातात्त्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव आदि शामिल हैं।
- इसकी **स्थापना 1861 में ASI के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी।** अलेक्जेंडर कनिंघम को "भारतीय पुरातत्व के जनक" के रूप में भी जाना जाता है।

https://youtu.be/U-EtlKpou0s

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sambhal-mosque-case